देवीसिंह —— मन्टू (या)
दावा

नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की ता... में जारी ...	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	17-2-2020 वकील उभयपक्ष उप०। विभाजन स्कीम पर पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 4-3-2020 को पेश हो।	
	4-3-2020 वकील उभयपक्ष उप०। आपत्तिकर्ता प्रतिवादी नं० 2 व 3 की आपत्ती निरस्त की जाकर तहसीलदार से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार दावा निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]4/2015	5.10.2015	4-3-2020

1. देवीसिंह पुत्र रामचरण, गुर्जर निवासी ऊमरी तहसील गंगापुर सिटी
2. अरविन्द कुमार पुत्र रामप्रसाद,गुर्जर निवासी बूचोलाई तहसील गंगापुरसिटी

—वादीगण

बनाम

1. मन्नूड्या पुत्र जयनारायण, माली निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. रामस्वरूपपुत्र जयनारायण, माली निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
3. रामलालपुत्र जयनारायण, माली निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
4. राधेश्याम पुत्र कजोडमल, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. उप पंजीयक जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री लालाराम सैनी, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से
श्री प्रेमप्रकाश जोशी, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 2, 3 की ओर से
श्री दिनेश डांस, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 4 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0नं0 32 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 36 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 39 रकबा 0.33 है0 ग्राम चूली में स्थित है जिसमें से वादी ने प्रतिवादी संख्या1 से उसके 9/84 हिस्से में से 5/84 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.12.2012 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया। उपरोक्त भूमि रेकार्ड में अभी शामलाती है तथा इसका विभाजन नहीं हुआ है। इस कारण प्रतिवादी सं0 1 का ख0नं0 36 में ख0नं0 32 से सटवां कब्जा रहा है। इससे प्रतिवादीगण व किसी अन्य का कोई वास्ता नहीं है। उपरोक्त वर्णित भूमि गंगापुर सिटी शहर के नजदीक है इस कारण उक्त भूमि के आसपास खेतो में आवासीय मकान व भूखण्ड काटे जा रहे हैं व प्रतिवादी सं0 4 ने बिना विभाजन करवाए अपने हिस्से की भूमि में चारदीवारी बना रखी है तथा इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने ख0नं0 39 में अपने आवासीय मकान बनाए हुए हैं। दिनांक 20.8. 2015 को जब वादी उपरोक्त वर्णित भूमि के अपने 5/84 हिस्से को संभाल रहा था तो प्रतिवादी सं0 1 ता 3 आए, इनके साथ कुछ खरीददार थे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से की भूमि को दिखाते हुए कहा कि यह वह भूमि है जिसमें हमें प्लाट काटने हैं। वादी ने मौके पर ही आपत्ती की व कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, भूमि अभी अविभाजित है, आप जब तक इसका विभाजन नहीं करवाते आपको इसमें भूखण्ड काटने का अधिकार नहीं है। वादी के यह कहने पर प्रतिवादीगण आवेशित हो गए व कहा कि हम भूमि का विभाजन कराए बिना ही भूखण्डो की शक्ल में प्लाट काट देंगे व सामाजिक निर्माण करेंगे तथा भूखण्डों का कौन सा नामान्तरकरण खुलता है जो जमीन कम होगी फिर तू जाने व खरीददार। वे तुझे अपने आप बेदखल कर देंगे। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 32 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 36 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 39 रकबा 0.33 है0 ग्राम चूली का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जावे व अलग अलग खाते कायम किए जाकर उसी अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे भूमि ख0नं0 32 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 36 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 39 रकबा 0.33 है0 ग्राम चूलीमें वादीगण के 5/84 हिस्से के उपयोग उपभोग में वादीगण को कोई मजाहमत न तो स्वयं उत्पन्न करें ना ही किसी अन्य से करावे व बिना विभाजन मौके पर कोई निर्माण नहीं करे व वादी को जबरन बेदखल नहीं करे व उसके हिस्से में निर्माण नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5, 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने जबाब दावा पेश कर भूमि ख0नं0 32 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 36 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 39 रकबा 0.33 है0 ग्राम चूलीका सरस-नरस बंटवारा करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी सं0 1ने जबाब दावा पेश कर भूमि ख0नं0 32 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 36 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 39 रकबा 0.33 है0 ग्राम चूली का वादी के वादपत्र में विक्रय पत्र की हद तक बंटवारा करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी सं0 4 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजियात का मौके पर खातेदारों के बीच करीब साढे छः साल पूर्व ही मौखिक विभाजन हो गया जिसके तहत प्रतिवादी सं0 4 के हिस्से में ख0नं0 32 रकबा 0.16 है0 की सम्पूर्ण भूमि एवं इसी के लगवां ख0नं0 36 की 20 एयर भूमि कुल 36 एयंर भूमि आई जिसे जबाब दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए-बी-सी-डी से दर्शाया गया है। तभी से प्रतिवादी सं0 4

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

इस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा ख0नं0 32 से सटवां ख0नं0 36 में रहा हो यह बात कतई गलत है। मौखिक विभाजन के बाद से प्रतिवादी सं0 4 की कब्जेशुदा मार्क ए–बी–सी– डी से दर्शित भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 का कभी कब्जा नहीं रहा है। जब प्रतिवादी सं0 1 का ख0नं0 32 के सटवां उपरोक्त 20 एयर भूमि पर कभी कब्जा ही नहीं था तो फिर उसके द्वारा वादीगण को ख0नं0 32 के सटवां भूमि पर कब्जा करवा दिए जाने का कथन स्वतः ही गलत हो जाता है। करीब साढे छः साल पूर्व हुए मौखिक विभाजन के बाद ही प्रतिवादी ने अपने हिस्से की भूमि में से मार्क ए–बी–सी–डी में तो तत्समय ही पुख्ता बाउण्ड्री दर्शित बरंग लाल करवा ली एवं मार्क सी–डी–ई–एफ भूमि ग्रीन कोरीडोर के लिए मिन जबाबदार ने छोड कर रख रखी है। ख0नं0 39 में प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के आवासीय मकान बने हुए हैं। वादीगण को और ना ही प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को प्रतिवादी सं0 4 के कब्जेशुदा भूमि खण्ड में किसी तरह का कोई पुख्ता अथवा खाम निर्माण करने अथवा उसे विक्रय आदि करने अथवा जबर्दस्ती कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। मिन जबाबदार ने भूमि के मौखिक विभाजन के बाद ही अपने हिस्से में आई भूमि पर भूमि की सुरक्षार्थ पुख्ता बाउण्ड्री आदि का निर्माण काफी साल पहले ही अधिकारपूर्वक करवा लिया है। वादग्रस्त आराजी में कई सालोंसे कोई फसल काश्त नहीं हो रही है, भूमि पडत पडी हुई है एवं खातेदारों ने मौके पर हो रहे विभाजन के अनुसार अपने अपने हिसाब से निर्माण करवा रखे हैं। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 32 व 36 के पीछे (दक्षिणी तरफ) लगवां मिन जबाबदार प्रतिवादी सं0 4 राधेश्याम की ही खातेदारी व कब्जे की भूमि ख0नं0 32/2225 रकबा 0.20 है0 व ख0नं0 32/2226 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 0.52 है0 भूमि स्थित है जिसमें मिन प्रतिवादी ने पुख्ता मकान, ट्यूववेल, पुख्ता टीनपोश साइज 170 फीट वाई 24 फीट में बना रखे हैं एवं जबाब दावे के साथ संलग्न नक्शा में मार्क ए–बी–सी–डी से दर्शित भूमि को उक्त आराजियात में मिलाते हुए संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित चौतरफा पुख्ता बाउण्ड्री करवा रखी है। बाउण्ड्रीशुदा भूमि के अलावा शेष बची मिन प्रतिवादी की खातेदारी भूमि को ग्रीन कोरीडोर के उद्देश्य से मिन जबाबदार ने खाली रख रखी है। मौके पर कब्जे की स्थिति अनुसार पक्षकारों के मध्य मीट्स एड बाउण्ड्स से विभाजन करने में मिन प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। मिन प्रतिवादी सं0 4 के हिस्से की भूमि में मौजूदा निर्माण का ठेका मिन प्रतिवादी ने प्रतिवादी सं0 1 मन्दूड़या को ही दिया है एवं प्रतिवादी सं0 2 रामस्वरूप व उसके तीनों पुत्रो ने निर्माण में मिस्त्रीगिरी का कार्य किया तथा रामस्वरूप की पुत्रवधुओ ने बेलदारी का कार्य किया था एवं प्रतिवादी रामलाल के पुत्र मनराज को मिन प्रतिवादी ने बाउण्ड्री की नींव भराई का ठेका दिया था। इस तरह से प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की मौजूदगी व सहमति से ही प्रतिवादी सं0 4 ने

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मौखिक विभाजन में आई अपने हिस्से की उक्त वादग्रस्त भूमि में अधिकारपूर्वक उक्त निर्माण किए हैं। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा विरूद्ध प्रतिवादी सं0 4 खारिज फरमाया जावे। विकल्प में रिकार्ड में विभाजन करने हेतु जबाब दावा के साथ संलग्न नक्शा में मार्क ए–बी–सी–डी से दर्शित भूमि ख0नं0 32 पूर्ण व ख0नं0 36 का आंशिक भाग 20 एयर कुल 36 एयर भूमि की खातेदारी इन्द्राज मिन प्रतिवादी सं0 4 के कब्जे अनुसार उसकी खातेदारी में दर्ज कर नक्शा ट्रेस में भी तदनुसार इन्द्राज फरमाने की स्थिति में विभाजन हेतु प्रतिवादी सं0 4 को कोई एतराज नहीं है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 प्रस्तुत की है।

जबाब के समर्थन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनांक 30.3.2017 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के वकील इस बात पर सहमत हुए कि वादग्रस्त भूमि की मौका एवं रेकार्ड के अनुसार विभाजन स्कीम मंगवा कर भूमि का विभाजन करने में उन्हें कोई आपत्ती नहीं है । उक्तकारों की इस सहमति के बाद भूमि ख0नं0 32 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 36 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 39 रकबा 0.33 है0 ग्राम चूली के विभाजन हेतु विभाजन स्कीम मंगवाया जाना उचित है।

इस न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने पत्रांक राजस्व/2019/1337 दिनांक 25.7.2019 द्वारा विभाजन स्कीम इस न्यायालय को भिजवाई है।

तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम पर प्रतिवादी रामलाल व रामस्वरूप की ओर से आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गई कि भूमि की विभाजन स्कीम उभयपक्षकारान की मौजूदगी मे मौके पर तैयार नही की गई है। ना ही विपक्षी के उक्त स्कीम पर हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा लगवाये गये है। विपक्षीगण को भूमि विभाजन स्कीम पर आपत्ति है। इसलिए पुनः भूमि विभाजन स्कीम उभयपक्षकारान की मोजूदगी मे मंगवाई जावे ताकि विपक्षीगणों के अधिकारो का हनन न हों। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त राजस्व प्रकरण मे उभयपक्ष की उपस्थिति मे विभाजन स्कीम पुनः मंगवाई जावें।

प्रतिवादी राधेश्याम ने इस आपत्ति के जबाब मे अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र जिस तरह से वर्णित किया गया है वह स्वीकार नही है। विभाजन स्कीम पर स्पष्टतः अंकत है कि विभाजन स्कीम पर्चा वादी व प्रतिवादी को कर्द मोका पढकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर कराये गये। रामलाल प्रतिवादी सूचना देने पर भी उपस्थित नही हुए थे। दरख्वास्त देहान्दाओं ने यह प्रार्थना पत्र नही बताया है कि उक्त विभाजन स्कीम मे क्या गलती है, कैसे गलत

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

है। क्या कमी है? जिस आधार पर दस्0 देहन्दा पुनः विभाजन स्कीम बनवाना चाहते है, वह कतई आधारहीन नही है तथा प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की है। विभाजन स्कीम मौके पर ही तैयार की गई है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

आपत्ति पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया।

प्रतिवादी न0 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए विभाजन स्कीम पुनः मंगवाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी न0 4 के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की आपत्ती खारिज कर तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा की गई आपत्ति को खारिज कर तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, विभाजन स्कीम का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम में वादी देवीसिंह, अरविन्द कुमार प्रतिवादी राधेश्याम के मौके पर उपस्थित होने का अंकन है। साथ ही यह भी अंकन है कि रामलाल पिता जयनारायण जाति माली व लक्ष्मीकान्त पुत्र बृजमोहन सूचना देने के बाद भी उपस्थित नही हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपत्तीकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जानबूझकर मौके पर उपस्थित नही हुए। इसके अतिरिक्त आपत्तीकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपनी आपत्ती ने ऐसा कोई तथ्य अंकित नही किया है जिससे विभाजन स्कीम की निष्पक्षता पर संदेह होता हो। अतः आपत्तिकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार कर पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. देवीसिंह पुत्र रामचरण जाति गुर्जर निवासी उमरी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 36/3 रकबा 0.0427 है0 ग्राम चूली रहेगी।
2. अरविन्द पुत्र रामप्रसाद जाति गुर्जर निवासी बूचौलाई की खातेदारी मे भूमि ख0न0 36/4 रकबा 0.0427 है0 ग्राम चूली रहेगी।
3. राधेश्याम पुत्र कजोडमल जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 32 रकबा 0.16 है0, ख0न0 36/1 रकबा 0.20 है0, कुल रकबा 0.36 है0 ग्राम चूली रहेगी।
4. रामलाल पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी चूली की खातेदारी मे भूमि ख0न0 36/2 रकबा 0.46 है0 ग्राम चूली रहेगी।
5. लक्ष्मीकान्त शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 36/5 रकबा 0.2046 है0, ख0न0 39/1 रकबा 0.0454 कुल रकबा 0.25 है0 ग्राम चूली रहेगी।

उप जिला कले...
गंगापुर सिटी (स0मा0)

6. रामस्वरूप पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी चूली की खातेदारी मे भूमि ख0न0 39/2 रकबा 0.2128 है0 ग्राम चूली रहेगी।
7. मन्टूडया पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी चूली की खातेदारी मे भूमि ख0न0 39/3 रकबा 0.0685 है0 ग्राम चूली रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो के मध्य भूमि का विभाजन किया जाकर इनके नाम पृथक पृथक खातेदारी अंकित की जावें, राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावें। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4-3-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

डिकरी व मुकददने इब्तदाई **Judi/Civil**

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) **Part IV-10**

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

बा अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. देवीसिंह पुत्र रामचरण, गुर्जर निवासी ऊमरी तहसील गंगापुर सिटी
2. अरविन्द कुमार पुत्र रामप्रसाद,गुर्जर नि0 बूचोलाई तह0गंगापुरसिटी

—वादीगण

बनाम

1. मन्टूडया पुत्र जयनारायण, माली निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. रामस्वरूप पुत्र जयनारायण, माली निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
3. रामलाल पुत्र जयनारायण, माली निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
4. राधेश्याम पुत्र कजोडमल, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. उप पंजीयक जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –114/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री लक्ष्मण शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुददई श्री लालाराम सैनी, प्रेमप्रकाश जोशी, दिनेश डांस, एडवोकेट मुददायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है–

1. देवसिंह पुत्र रामचरण जाति गुर्जर निवासी उमरी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 36/3 रकबा 0.0427 है0 ग्राम चूली रहेगी।
2. अरविन्द पुत्र रामप्रसाद जाति गुर्जर निवासी बूचौलाई की खातेदारी मे भूमि ख0न0 36/4 रकबा 0.0427 है0 ग्राम चूली रहेगी।
3. राधेश्याम पुत्र कजोडमल जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 32 रकबा 0.16 है0, ख0न0 36/1 रकबा 0.20 है0, कुल रकबा 0.36 है0 ग्राम चूली रहेगी।
4. रामलाल पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी चूली की खातेदारी मे भूमि ख0न0 36/2 रकबा 0.46 है0 ग्राम चूली रहेगी।
5. लक्ष्मीकान्त शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 36/5 रकबा 0.2046 है0, ख0न0 39/1 रकबा 0.0454 कुल रकबा 0.25 है0 ग्राम चूली रहेगी।
6. रामस्वरूप पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी चूली की खातेदारी मे भूमि ख0न0 39/2 रकबा 0.2128 है0 ग्राम चूली रहेगी।
7. मन्टूडया पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी चूली की खातेदारी मे भूमि ख0न0 39/3 रकबा 0.0685 है0 ग्राम चूली रहेगी।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उपरोक्तानुसार पक्षकारो के मध्य भूमि का विभाजन किया जाकर इनके नाम पृथक पृथक खातेदारी अंकित की जावें, राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावें। विभाजन सकीन निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 4-3-2020 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.06.23 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: